कार्यालयः—जिलाधिकारी,बरेली।

पत्रांकः— /0302/वृहद्द रो0मेला/बरेली/2025—26 दिनांकः 18 मार्च,2026

आदेश

श्रम अनुभाग—5 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या— 823/छत्तीस—5—2025— कम्प्यूटर संख्या 1126482 दिनांकः 17 जुलाई, 2025 के द्वारा "उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन" का गठन किया गया है। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बरेली तथा बरेली कालेज बरेली के संयुक्त तत्वाधान में दिनांकः 27.03.2026 को प्रातः 10 बजे से बरेली कालेज बरेली मे एक दिवसीय वृहद्द रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 80 नियोजकों द्वारा 7000 रिक्तियों के चयन की कार्यवाही की जायेगी जिसमें लगभग 10000 बेरोजगारों के प्रतिभाग करने की संभावना है।

अतः रोजगार मेले के सफल आयोजन तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की डयूटी उनके नाम के सम्मुख अंकित रोजगार मेले के कार्य हेतु लगाई जाती है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पदनाम	सम्बन्धित विभाग का रोजगार मेले में कार्य
01	02	03
01	नगर आयुक्त,बरेली।	महानगर पालिका के समस्त समस्त सभासदों को अवगत करायें कि वे अपने क्षेत्र के उक्त रोजगार मेले का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक युवाओं को उक्त रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु सूचित करें। आयोजन स्थल की साफ सफाई पेयजल व्यवस्था तथा 04 मोबाईल शौचालय की व्यवस्था करायें।
02	पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली।	यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित कराने हेतु।
03	मुख्य चिकित्साधिकारी,बरेली।	रोजगार मेले मे आये बेरोजगार अभ्यार्थियों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।
04	संयुक्त आयुक्त उद्योग,बरेली मण्डल बरेली।	बरेली मंडल बरेली के स्थानीय नियोजकों को रोजगार मेले मे प्रतिभाग कराने तथा रिक्तियों को रोजगार मेले के माध्यम से पूर्ति कराने हेतु।
05	संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण/शिशुक्षु) मण्डल समन्वयक, कौशल विकास मिशन बरेली मण्डल—बरेली।	बरेली मण्डल के समस्त आई0टी0आई0 एवं कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों तथा नियोजकों को रोजगार मेले मे प्रतिभाग करने हेतु।
06	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,बरेली।	बरेली मण्डल बरेली के समस्त महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों के प्राचार्य/प्रबन्धकों को उक्त रोजगार मेले मे अधिक से अधिक बेरोजगारों को प्रतिभाग कराने हेतु निर्देशित करें साथ ही बेरोजगार अभ्यार्थियों का पंजीकरण वेब पोर्टल https://rojgaarsangam.up.gov.in पर करायें।
07	जिला पंचायत राज अधिकारी,बरेली।	रोजगार मेले का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कराने के उद्देश्य से सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारियों,रोजगार सेवकों तथा ग्राम प्रधानों को अपने स्तर से निर्देशित करने हेतु।
08	जिला समन्वयक उ0प्र0 कौशल विकास मिशन/प्रधानाचार्य,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सी0बी0 गंज बरेली।	रोजगार मेले में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षित अभ्यार्थियों,एवं नियोजकों तथा आई0टी0आई0 के प्रशिक्षार्थियों एवं नियोजकों को रोजगार मेले में प्रतिभाग कराने के संबध मे।
09	प्रधानाचार्य,राजकीय पॉलीटेक्निक,बरेली।	रोजगार मेले मे संस्थान के डिप्लोमाधारी अभ्यार्थियों को प्रतिभाग कराने हेतु सूचित करें।
10	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बरेली।	रोजगार मेले स्थल पर सुरक्षा हेतु पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था हेतु।
11	उप निदेशक सूचना बरेली।	रोजगार मेले के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
12	प्राचार्य बरेली कालेज बरेली।	रोजगार मेले के आयोजन हेतु आयोजन स्थल आवंटित कराने के साथ कालेज के युवाओं को भी रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु सूचित कराने का कष्ट करें।

(अविनाश सिंह)
जिलाधिकारी
बरेली।

पत्रांकः—303-307/0302/वृहद्द रो0मेला/बरेली/2024—25 तददिनांकित

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,बरेली को रोजगार मेले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी,बरेली।
3. निदेशक, सेवायोजन उ0प्र0 लखनऊ।
4. सम्बन्धित अधिकारीगणों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. सहायक निदेशक(सेवायोजन) बरेली मण्डल बरेली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त अधिकारियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए रोजगार मेले से संबधित समस्त आवश्यक व्यवस्थायें नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

18/3/2026
जिलाधिकारी,
बरेली।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर, बरेली।

दिनांक:23.03.2026

रोजगार मेले सम्बन्धी आवश्यक सूचना।

महाविद्यालय के समस्त छात्र—छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे बरेली कालेज, बरेली में आयोजित होने वाले वृहद् रोजगार मेले में रोजगार के इच्छुक विद्यार्थी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से प्राचार्य